



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 17.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 219/23 धारा 307/302 भादवि से सम्बन्धित हत्यारोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 16.03.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री राममेहर पुत्र जयपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त रवि पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत ने वादी की पुत्री के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे वादी की पुत्री गम्भीर रूप से घायल हो गई तथा अभियुक्त रवि ने अपना बचाव करने के लिये अपने भाई सन्नी को गोली मार दी,



जिससे उसके भाई सन्नी की मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 219/23 धारा 307/302 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 219/23 धारा 307/302 भादवि से सम्बन्धित हत्यारोपी अभियुक्त रवि को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रवि पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने राममेहर के खेत में खड़ी गेहूँ की फसल से अपना ट्रैक्टर निकाल लिया था, जिसके विरोध में राममेहर अपनी पत्नी व लडकी के साथ मेरे घर के बाहर आकर गाली-गलौच करने लगे, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर राममेहर की लडकी के ऊपर अपने तमंचे से फायर कर दिया तथा अपने बचाव हेतु अपने भाई सन्नी पर भी फायर कर दिया, जिससे सन्नी की मृत्यु हो गई।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 326/20 धारा 506 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 405/22 धारा 147/323/341/504/506 भादवि व 3(2)5क SC/ST एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 753/20 धारा 147/323/325/452/506 भादवि व 3(2)5क SC/ST एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 807/17 धारा 363/376/366 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम व 3(1)/3(2)5 SC/ST एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 455/20 धारा 147/148/323/324/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत

6-मु0अ0सं0 219/23 धारा 302/307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बडौत बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- अपराध निरीक्षक श्री चन्द्रकान्त यादव थाना बडौत ।
- 3-उ0नि0 ज्ञानेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत ।
- 4-हे0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत ।
- 5-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बडौत ।
- 6-का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 17.03.2023

थाना बिनौली पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

सहन्सरपाल पुत्र महावीर निवासी शाहपुर बाणगंगा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली ।
- 2-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना बिनौली ।
- 3- का0 667 दीपक कुमार थाना बिनौली ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 17.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 66/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 66/23 धारा 2/3 गैंगस्टर में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सन्नी पुत्र देशपाल निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 271/2017 धारा 398/401 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 66/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1-प्रभारी निरीक्षक श्री ओमप्रकाश सिंह थाना रमाला ।

2-उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला ।

3-का0 685 दीपक कुमार थाना रमाला ।

4-का0 19 सोनित कुमार थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 50 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 सुपर स्प्लेंडर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 50 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 सुपर स्प्लेंडर नं0 यूपी-17यू/6261 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र महेन्द्र निवासी देशवाल पट्टी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 50 पच्चे अवै देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 सुपर स्प्लेंडर नं0 यूपी-17यू-6261

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विनोद कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का0 846 नरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 333 नितेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मनोज पुत्र इन्द्रपाल निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का0 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाड़ी कैन्टर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 11 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 गाड़ी कैन्टर नं0 HR56B1888 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 11 पशु बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 257/23 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जितेन्द्र पुत्र रोहताश सिंह निवासी ग्राम डेगाना थाना जुलाना जनपद जिंद हरियाणा ।

2-फरीद पुत्र यामीन निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुये 11 पशु ।
- एक गाड़ी कैन्टर नं० HR56B1888

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री कैलाशनाथ थाना कोतवाली बापत जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-है०का० 399 वीरपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 17.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 211/23 धारा
147/452/352/323/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 14.03.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री रामभजन पुत्र प्रकाशचन्द निवासी गांव शाहपुर बडौली थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-योगेश, 2-पवन, 3-संजय पुत्रगण तेजराम, 4-तुषार पुत्र पवन, 5-जनेसर, 6-नीरज व 7-लोकेन्द्र पुत्र सोहनबीर निवासीगण ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत के द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 211/23 धारा 147/452/352/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 211/23 धारा 147/452/352/323/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-संजय पुत्र तेजराम निवासी शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० विकुल कुमार थाना बडौत ।

3-का० 413 आकाश सैनी ।

4-का० 984 दीपक शर्मा ।